राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा(राज.)

प्रकरण संख्या – 15/22(सिविल) पीठासीन अधिकारी – धीरेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

बनारसी देवी पत्नी स्व. श्री मोहनलाल जाति मीना निवासी ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा जिला दौसा ———————(प्रार्थीया

वनाम

)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा हाल मण्डावर जिला दौसा राज. ———————(अप्रार्थीगण)

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात</u>

दिनांक –13.06.2022

<u>निर्णय</u>

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय दौसा के समक्ष दिनांक 31.05.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम ढिगारिया कपूर पटवार मण्डल ढिगारियाभीम भू.अ.नि. बैजूपाडा तहसील बसवा हाल बैजूपाडा** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या नया 200 पुराना 192 के आ.न 588, 588/1405, 589, 590, 614, 615 कुल किता 06 कुल रकबा 1.78 हैक्टे. भूमि जिसका सीमाज्ञान नायब तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा दिनांक 03.07.2015 को किया जा चुका है** । आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं जिससे कि प्रार्थीया उक्त भूमि में से प्रार्थीया के नाम कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहती हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र व उसके साथ संलग्न राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वाके वाके **ग्राम ढिगारिया कपूर पटवार मण्डल ढिगारियाभीम भू.अ.नि. बैजूपाडा तहसील बसवा हाल बैजूपाडा** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या नया 200 पुराना 192 के आ.न 588, 588/1405, 589, 590, 614, 615 कुल किता 06 कुल रकबा 1.78 हैक्टे. भूमि** की पत्थरगढ़ी की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक गोलाडा को रूपये 1500 /– फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बैजूपाडा को भिजवाई जावे। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक **13.06.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी मण्डावर
मण्डावर (दौसा)